



Neutral Citation No. - 2026:AHC:170836

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 7966/2026

रईस अहमद एवं अन्य

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : शरीक अहमद

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1- आवेदकों की ओर से श्री शारिक अहमद, विद्वान अधिवक्ता का पक्ष रखते हुए श्री रईस अंसारी, अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना।

2- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकों की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 326 सन् 2020, धारा 3(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 (जिसे आगे 'गैंगस्टर्स अधिनियम' कहा गया है), थाना-कोतवाली नगर, जनपद-मऊ के अन्तर्गत इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदकों को उपर्युक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3- आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदकों को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। वे निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत की मांग करते हैं:-

i)- गैंग चार्ट में उल्लिखित एकमात्र मूल प्रकरण के आधार पर आवेदकों को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है और आवेदक उक्त प्रकरण में अग्रिम जमानत पर हैं।

ii)- गैंगस्टर्स अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रारंभ में आवेदकों के नाम नहीं थे, तथापि, उनके नाम पूरक गैंग चार्ट में सम्मिलित किए गए हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iii)- गैंग चार्ट में उल्लिखित मूल प्रकरण के अतिरिक्त आवेदकों का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

iv)- समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्त शैरफुल हक @ हाजी मुनमुम @ गुनगुन को इस न्यायालय द्वारा वर्ष 2026 की एन.ए.बी.ए.आई.एल. संख्या 7691 में पारित दिनांक 06.08.2026 के आदेश के माध्यम से पहले ही अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है।

4- विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि, वे आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए तथ्यात्मक कथनों पर विवाद नहीं कर सके।

5- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

6- प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदकों के नाम नहीं हैं। एकमात्र मूल प्रकरण में तैयार किए गए पूरक गैंग चार्ट में उनके नाम सामने आए हैं। आवेदक गैंग चार्ट में दर्शाए गए एकमात्र मूल प्रकरण में अग्रिम जमानत पर हैं।

7- जैसा कि उपर्युक्त विवेचित किया गया है, प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की प्रथमदृष्टया राय है कि आवेदकों ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का प्रकरण बनाया है।

8- आवेदकों का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

9- उपर्युक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित आवेदकगण-**रईस अहमद** एवं **नसीम** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

i)- आवेदकगण जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएंगे;

ii)- आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को, ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख करने के लिए, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iii)- आवेदकगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे;

iv)- आवेदकगण अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेंगे/उसे डराएंगे-धमकाएंगे;

10- उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और उन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

12 अगस्त, 2026

कीर्ति